

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 1996 (माघ 25, 1917)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हरवेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-55-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 6 जनवरी, 1996 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 136 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना से अधिक पानी छोड़ने से फसलों को हुई क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, भिलाई में छत्तीसगढ़ मजदूर संघ के महामंत्री द्वारा आत्मदाह किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. वर्ष 1995-96 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1995-96 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

निर्धारित
समय
2 घंटे

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 41 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

2 घंटे

(2) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 42 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घंटा

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1994-95) तथा लोक आयुक्त संगठन का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 (व्याख्यात्मक भाग) पर चर्चा।

भोपाल :
दिनांक : 13 फरवरी, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा